



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 31, शुक्रवार, शाके 1945-सितम्बर 22, 2023
Bhadra 31, Friday, Saka 1945- September 22, 2023

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 22, 2023

संख्या प.2(39)विधि/2/2023.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 30)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को प्राप्त हुई)

राज्य के व्यक्तियों और/या गृहस्थियों को मजदूरी या सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी के रूप में एक अतिरिक्त न्यूनतम आय गारंटी का संबल प्रदान करने के लिए हकदारी आधारित सामाजिक सुरक्षा के उपबंध करने के लिए अधिनियम।

यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (क), 41 और 43 के अधीन नागरिकों को दिये गये सांविधानिक रक्षोपाय और संरक्षणों को अग्रसर करने के लिए प्रभावी उपबंध बनाये जाने समीचीन हैं।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अर्पित न हो,-

(क) "वयस्क व्यक्ति" से वह व्यक्ति, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, अभिप्रेत है;

(ख) "आवेदक" से किसी गृहस्थी का मुखिया या गृहस्थी के अन्य वयस्क सदस्यों में से कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रोजगार के लिए आवेदन किया है, अभिप्रेत है;

- (ग) “आधार दर” से एक हजार रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम गारन्टी पेंशन अभिप्रेत है;
- (घ) “मु.मं.ग्रा.रो.गा.स्की.” से राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अभिप्रेत है;
- (ङ) “दिव्यांग” से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) के अधीन संदर्भित दिव्यांगजन अभिप्रेत है;
- (च) “वित्तीय वर्ष” से किसी वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिवस से अगले वर्ष में मार्च के इकत्तीसवें दिवस के बीच की कालावधि, जिसमें दोनों तारीखें सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है;
- (छ) “गृहस्थी” से किसी कुटुंब के सदस्य, जो एक दूसरे से रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण से संबंधित हैं, सामान्यतः एक साथ निवास और साझा भोजन करते हैं और एक ही जन आधार कार्ड रखते हैं, अभिप्रेत हैं;
- (ज) “इं.गां.श.रो.गा.स्की.” से राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम अभिप्रेत है;
- (झ) “न्यूनतम मजदूरी” से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 11) की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा सुसंगत परिक्षेत्र के लिए कृषि श्रमिकों हेतु नियत की गयी न्यूनतम मजदूरी अभिप्रेत है;
- (ञ) “म.गां.न्यू.आ.गा.यो.” से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना अभिप्रेत है;
- (ट) “मनरेगा” से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) अभिप्रेत है;
- (ठ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (ड) “नोडल विभाग” से शहरी रोजगार के उपबंधों के लिए स्वायत्त शासन विभाग, ग्रामीण रोजगार के उपबंधों के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग और पेंशन के उपबंधों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जैसा विहित किया जाये, अभिप्रेत है;
- (ढ) “पेंशन” से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरकार की सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अधीन किसी व्यक्ति को अनुग्रह संदाय के रूप में उपबंधित कोई आवधिक प्रतिकर अभिप्रेत है;
- (ण) “अनुज्ञेय कार्य” से यथाविहित रोजगार स्कीमों के अधीन पहचान किया गया कार्य अभिप्रेत है;
- (त) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (थ) “कार्यक्रम अधिकारी” से धारा 5 के अधीन पदाभिहित अधिकारी अभिप्रेत है;
- (द) “निवासी” से जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 3) के अधीन परिभाषित कोई निवासी अभिप्रेत है;
- (ध) “नियम” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
- (न) “राज्य सरकार” से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
- (य) “अकुशल शारीरिक कार्य” से कोई शारीरिक कार्य, जिसे कोई वयस्क व्यक्ति किसी कौशल या विशेष प्रशिक्षण के बिना करने में सक्षम हो, अभिप्रेत है।

अध्याय-2

न्यूनतम आय की गारंटी का अधिकार

3. **न्यूनतम आय की गारंटी का अधिकार.**- इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित म.गां.न्यू.आ.गा.यो. के माध्यम से राज्य सरकार, पात्र व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम के माध्यम से और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य मंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के माध्यम से रोजगार प्रदान करके या वृद्धावस्था/विशेष योग्यजन/विधवा/एकल महिला के पात्र प्रवर्ग, जैसाकि विहित किया जाये, को पेंशन प्रदान करके, न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करेगी:

परन्तु यह अधिनियम क्रियान्वयन पर, किन्हीं भी परिस्थितियों में, सरकार की अन्य स्कीमों के अधीन फायदों को बंद करने के लिए आधार गठित नहीं करेगा और अनिवार्यतः आवेदक द्वारा ऐसी अन्य स्कीमों में प्राप्त फायदों के स्तर में कोई कमी नहीं की जायेगी।

अध्याय-3

रोजगार की गारंटी का अधिकार

4. **इस अधिनियम के अधीन हकदारी.**- (1) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मनरेगा द्वारा यथाविहित कार्य के अधिकतम दिवस पूर्ण होने पर एक वित्तीय वर्ष में कम से कम अतिरिक्त पच्चीस दिवस का अनुज्ञेय कार्य करने के लिए गारंटीकृत रोजगार प्राप्त करने, और उसके लिए मु.मं.गा.रो.गा.स्की. के माध्यम से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार साप्ताहिक रूप से या किसी भी स्थिति में एक पखवाड़े के अपश्चात् न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(2) राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को रोजगार की गारंटी का अधिकार होगा जो कि एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ पच्चीस दिवस का अनुज्ञेय कार्य करने के लिए गारंटीकृत रोजगार प्राप्त करने का और उसके लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार साप्ताहिक रूप से या किसी भी स्थिति में एक पखवाड़े के अपश्चात् न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

5. **अधिनियम के अधीन रोजगार की गारंटी के अधिकार के लिए उपबंध.**- (1) राज्य सरकार, रोजगार की गारंटी के लिए इस अधिनियम और तद्वीन बनाये गये नियमों के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी, और शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय के किसी अधिशासी अधिकारी, से अनिम्न रैंक के कार्यक्रम अधिकारी को पदाभिहित करेगी।

(2) प्रदान किये जाने वाले अनुज्ञेय कार्यों की सूची, कार्य करने के घंटे, कार्य करने की दशाएं, मजदूरी का संदाय और मजदूरी अदायगी की आवृत्ति के ब्यौरे, ऐसे होंगे जैसाकि विहित किया जाये।

(3) गृहस्थी का कोई भी वयस्क सदस्य रोजगार की गारंटी के अधिकार के लिए ऐसी रीति से और ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाये, रजिस्टर करवा सकेगा।

(4) कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उप-धारा (3) के अधीन आवेदक को, आवेदन की तारीख से पन्द्रह दिवस से अनधिक की कालावधि के भीतर-भीतर, इस अधिनियम और तद्वीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय कार्य प्रदान किया जायेगा।

(5) कार्यों/सेवाओं के कतिपय प्रवर्ग को, जिन्हें राज्य सरकार के अनुमोदन से संबंधित नोडल विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाये, समय-दर के आधार पर भी रोजगार प्रदान किया जा सकेगा।

(6) कार्यक्रम अधिकारी, यथासंभव यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) यदि आवेदक किसी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है तो कार्यस्थल ऐसे ग्राम, जहां जॉब कार्ड रजिस्ट्रीकृत है, के पांच किलोमीटर के दायरे के भीतर-भीतर हो; और

- (ख) यदि आवेदक किसी शहरी क्षेत्र में निवास करता है तो कार्य-स्थल, ऐसे वार्ड या समीपस्थ वार्ड या यथाविहित ऐसे वार्ड, जहां जाँब कार्ड रजिस्ट्रीकृत है, से पांच किलोमीटर के दायरे के भीतर-भीतर हो।

6. बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की हकदारी.- (1) जहां कार्यक्रम अधिकारी, विहित प्ररूप में आवेदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर रोजगार प्रदान करने में विफल रहता है, वहां आवेदक, राज्य सरकार से, साप्ताहिक आधार पर और किसी भी स्थिति में एक पखवाड़े से अपश्चात् ऐसी रीति से जो विहित की जाये, बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन संदेय बेरोजगारी भत्ता ऐसी दरों पर होगा जो विहित की जाये।

(3) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी गृहस्थी को बेरोजगारी भत्ते का संदाय करने का राज्य सरकार का दायित्व समाप्त हो जायेगा ज्योंहि-

- (क) आवेदक की गृहस्थी ने मजदूरी और बेरोजगारी भत्ते से, एक साथ लेने पर उतना ही अर्जित कर लिया है जो ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम के अधीन हकदार कार्य दिवसों की कालावधि के लिए मजदूरी के समान है; या
- (ख) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आवेदक को, कार्य करने की रिपोर्ट के लिए या तो स्वयं या अपनी गृहस्थी के कम से कम एक वयस्क सदस्य को प्रतिनियुक्त करने के लिये निदेशित किया जाये; या
- (ग) वह कालावधि, जिसके लिए रोजगार चाहा गया है, समाप्त हो गई है और आवेदक की गृहस्थी का कोई भी सदस्य रोजगार के लिए नहीं आया है; या
- (घ) आवेदक की गृहस्थी के वयस्क सदस्यों ने वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम के अधीन हकदार कुल अधिकतम दिवसों का उपभोग प्राप्त कर लिया है।

अध्याय-4

सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी का अधिकार

7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी के लिए हकदारी.- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो विहित पात्रता के साथ वृद्धावस्था/विशेष योग्यजन/विधवा/एकल महिला के प्रवर्ग के अन्तर्गत आता है, इस अधिनियम के अधीन पेंशन के लिए, जैसाकि विहित किया जाये, हकदार होगा।

(2) संदेय पेंशन में वित्तीय वर्ष 2024-2025 से आरंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आधार दर पर पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दो किस्तों में अर्थात् जुलाई में पांच प्रतिशत और जनवरी में दस प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी:

परन्तु पेंशन की मंजूरी की तारीख से न्यूनतम बारह मास पूर्ण होने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को पेंशन में कोई वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

8. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी के अधिकार का कार्यान्वयन.- (1) राज्य सरकार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय के किसी अधिशासी अधिकारी से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को पदाभिहित करेगी।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिये नियम अधिसूचित करेगी, जैसे:-

- (i) पेंशनरों के लिए पात्रता मानदंड के ब्यौरे;

- (ii) डीमंड अनुमोदन और स्वतः अनुमोदन की प्रक्रिया;
- (iii) रजिस्ट्रीकरण, सत्यापन और मंजूरी की प्रक्रिया;
- (iv) पेंशन के संदाय की प्रक्रिया;
- (v) पेंशनरों के जीवित होने के सत्यापन के लिए पेंशनरों की सूची का वार्षिक पुनर्विलोकन करने की प्रक्रिया;
- (vi) राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य पेंशन संबंधी स्कीमों के अभिसरण के लिए प्रक्रिया और दोहराव रोकने के लिए तंत्र।

अध्याय-5

कार्यान्वयन

9. नोडल विभागों द्वारा कार्यान्वयन.- (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, शहरी रोजगार के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग होगा, और ग्रामीण रोजगार के उपबन्धों के क्रियान्वयन और दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए नोडल विभाग ग्रामीण विकास विभाग होगा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेन्शन के अधिकार के उपबन्धों के लिए नोडल विभाग होगा, जैसाकि विहित किया जाये।

(2) राज्य ग्रामीण रोजगार आयुक्त, राज्य शहरी रोजगार आयुक्त और राज्य पेन्शन आयुक्त होंगे, जो इस अधिनियम और तद्दीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का, जो विहित किये जायें, पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

10. राज्य सलाहकार बोर्ड.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के कार्यान्वयन को नियमित रूप से मानीटर करने और उनका पुनर्विलोकन करने के लिए, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड में राज्य सरकार के विभिन्न अन्य सदस्य भी होंगे किन्तु निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे, अर्थात्:-

- (i) प्रभारी शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग;
- (ii) प्रभारी शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग;
- (iii) प्रभारी शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग;
- (iv) प्रभारी शासन सचिव, आयोजना विभाग; और
- (v) प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "प्रभारी शासन सचिव" से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

अध्याय-6

पारदर्शिता और जवाबदेही

11. पारदर्शिता और जवाबदेही.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम और तद्वीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में श्रमिकों के रोजगार और उपगत व्यय की समुचित पुस्तकों तथा लेखों को संधारित करने और गुणवत्ता नियन्त्रण दल (म.गा.न्यू.आ.गा.यो. के अधीन सृजित आस्तियों के लिए) द्वारा संकर्म के नियमित निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के उपबंधों और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेन्शन की हकदारी से संबंधित उपबंधों के सत्यापन की रीति विहित कर सकेगी।

(2) मजदूरी, प्रतिकर और बेरोजगारी भत्तों तथा पेन्शन के सभी संदाय, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से सीधे संबंधित व्यक्ति के खाते में किये जायेंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन मजदूरी, प्रतिकर, बेरोजगारी भत्ते और पेन्शन से संबंधित सुसंगत लेख और अभिलेख, जन संवीक्षा के लिए, ऐसी रीति से जैसाकि विहित किया जाए, उपलब्ध कराये जायेंगे।

12. शिकायत निवारण तंत्र.- राज्य सरकार, समुचित स्तर पर, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विभिन्न नियम बनायेगी जो आवेदकों को उनकी शिकायतें, निवारण के लिए, दाखिल करने के लिए समर्थ बनायेंगे। शिकायत निवारण तंत्र की संरचना और कार्य प्रणाली ऐसी होगी, जैसाकि विहित किया जाये।

13. सामाजिक संपरीक्षा और निष्पादन संपरीक्षा.- कार्यक्रम अधिकारी, राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण (आरएसपीएए) को, यथाविहित रीति से, सामाजिक और निष्पादन संपरीक्षा के कार्यान्वयन के लिए, लेखे और पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

अध्याय-7

प्रकीर्ण

14. अधिनियम का किन्हीं अन्य विधियों के अतिरिक्त होना और न कि उनके अल्पीकरण में.- यह अधिनियम किन्हीं केन्द्रीय या राज्य विधियों के अधीन गारंटीकृत अधिकारों या हकदारियों के अतिरिक्त होगा, न कि उनके अल्पीकरण में।

15. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- इस अधिनियम या तद्वीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए, राज्य सरकार या किसी प्राधिकारी या अधिकारी या निकाय या व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जायेंगी।

16. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टता, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम-

(क) कार्य करने के घंटे, कार्य करने की दशाएं, मजदूरी का संदाय और मजदूरी के संदाय की आवृत्ति का ब्यौरा;

(ख) वह रीति और प्ररूप जिसमें किसी गृहस्थी का कोई वयस्क सदस्य रोजगार के अधिकार के लिए रजिस्टर करवा सकेगा;

(ग) वह रीति, जिसमें आवेदक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा और वह दर, जिस पर बेरोजगारी भत्ता संदेय होगा;

- (घ) पेंशन के अधिकार के उपबंध और राज्य ग्रामीण रोजगार आयुक्त, राज्य शहरी रोजगार आयुक्त और राज्य पेंशन आयुक्त द्वारा सम्पादित किये जाने वाले अन्य कृत्य;
- (ङ) वह रीति जिसमें मजदूरी, प्रतिकर, बेरोजगारी भत्ता और पेंशन के संदाय से सम्बन्धित सुसंगत लेखों तथा अभिलेखों को जन संवीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जायेगा;
- (च) शिकायत निवारण तंत्र की संरचना और कार्य प्रणाली;
- (छ) वह रीति जिसमें सामाजिक संपरीक्षा और निष्पादन संपरीक्षा की जायेगी;
- (ज) पेंशनरों के लिए पात्रता के मानदण्डों का ब्यौरा;
- (झ) डीम्ड अनुमोदन और स्वतः अनुमोदन की प्रक्रिया;
- (ञ) रजिस्ट्रीकरण, सत्यापन और मंजूरी की प्रक्रिया;
- (ट) पेंशन के संदाय की प्रक्रिया;
- (ठ) पेंशनरों के जीवित होने के सत्यापन के लिए पेंशनरों की सूची के वार्षिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया;
- (ड) राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य पेंशन संबंधी स्कीमों के अभिसरण की प्रक्रिया और दोहराव रोकने के लिए तंत्र,

के लिए उपबन्ध कर सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिवस की कालावधि के लिए रखे जायेंगे, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, और यदि ऐसे सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे जाते हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व, राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

17. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत न हों और जो कठिनाई का निराकरण करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, उसके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी।

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, September 22, 2023

No. F. 2(39)Vidhi/2/2023.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Nyuntam Aay Guarantee Adhiniyam, 2023 (2023 Ka Adhiniyam Sankhyank 30):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MINIMUM GUARANTEED INCOME ACT, 2023

(Act No. 30 of 2023)

(Received the assent of the Governor on the 21st day of September, 2023)

An

Act

to provide entitlement-based social security to support the individuals and/or households of the State with an additional minimum guaranteed income in the form of a guaranteed wage or social security pension.

Whereas it is expedient to make effective provisions in furtherance to constitutional safeguards and protections accorded to citizens under Articles 39(a), 41 and 43 of the Constitution of India.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I

Preliminary

1. Short title, extent, and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Minimum Guaranteed Income Act, 2023.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may appoint by notification in the Official Gazette.

- 2. Definitions.-** In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-
- (a) “adult person” means a person who has attained the age of eighteen years;
 - (b) “applicant” means the head of a household or any of the other adult members of the household who has applied for employment under the provisions of this Act;
 - (c) “Base Rate” means the minimum guaranteed pension of rupees one thousand per month;
 - (d) “CMREGS” means Chief Minister Rural Employment Guarantee Scheme of the Government of Rajasthan;
 - (e) “disabled” means persons with benchmark disability under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016);
 - (f) “financial year” means the period between the first day of April in any year and the thirty-first day of March in the next year, both dates included;
 - (g) “household” means the members of a family related to each other by blood, marriage or adoption, normally residing together and sharing meal and holding a common Jan Aadhar Card;
 - (h) “IGUEGS” means Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme of the Government of Rajasthan;
 - (i) “minimum wage” means the minimum wage fixed for agricultural labourers for the relevant Zone by the State Government under section 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act No. 11 of 1948);
 - (j) “MGMGIY” means the Mahatma Gandhi Minimum Guaranteed Income Yojana notified by the State Government;
 - (k) “MGNREGA” means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Central Act No. 42 of 2005);
 - (l) “notification” means a notification published in the Official Gazette;
 - (m) “Nodal Department” means the Local Self Government Department for the provisions of Urban Employment, the Rural Development and Panchayati Raj Department for the provisions of Rural Employment and the Social Justice and Empowerment Department for the provisions of pension as may be prescribed;
 - (n) “pension” means a periodic compensation, provided to an individual as ex-gratia payment under social security schemes of the Government for the purpose of this Act;
 - (o) “permissible work” means work identified under the Employment Schemes as prescribed;
 - (p) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
 - (q) “Program Officer” means an officer designated under section 5;
 - (r) “resident” means a resident defined under the Jan Aadhar Authority Act, 2020 (Act No.3 of 2020);
 - (s) “rules” means the rules made under this Act;
 - (t) “State Government” means the Government of the State of Rajasthan; and

- (u) “unskilled manual work” means any physical work which any adult person is capable of doing without any skill or special training.

CHAPTER-II

Right to Minimum Guaranteed Income

3. Right to Minimum Guaranteed Income.- The State Government shall provide to eligible persons a Minimum Guaranteed Income through MGMGIY as may be notified by the State Government under this Act by providing employment in urban areas through the Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme and in rural areas through Chief Minister Rural Employment Guarantee Scheme or by providing pension to an eligible category of old age/specially abled/widow/single woman as may be prescribed:

Provided that the Act upon implementation shall under no circumstances constitute grounds for discontinuing the benefits under other schemes of Government and necessarily shall not lead to any reduction in the level of benefits received by the applicant in other such schemes.

CHAPTER-III

Right to Guaranteed Employment

4. Entitlement under this Act.- (1) Every adult person residing in the rural areas of the State shall have a right to get guaranteed employment for doing permissible work of atleast additional 25 days in a financial year on completion of maximum days of work as prescribed by the MGNREGA, and to receive minimum wages therefor weekly or in any case not later than a fortnight, in accordance with the provisions of this Act through CMREGS.

(2) Every adult person residing in the urban areas of the State shall have a right to guaranteed employment, that is a right to get guaranteed employment for doing permissible work of atleast 125 days in a financial year and to receive minimum wages therefor weekly or in any case not later than a fortnight, in accordance with the provisions of this Act.

5. Provisions for Right to Guaranteed Employment under the Act.- (1) The State Government shall designate a Program Officer, not be below the rank of Block Development Officer in rural areas and an Executive Officer of the local body concerned in urban areas to implement the provisions of this Act and rules made thereunder for guaranteed employment.

(2) The list of permissible works to be provided, details of working hours, working conditions, payment of wages and frequency of wage pay-outs shall be such as may be prescribed.

(3) Any adult member of a household may register for the right to guaranteed employment in the manner and in the format as may be prescribed.

(4) The Program Officer shall ensure that the applicant under sub-section (3) shall be provided permissible work, in accordance with the provisions of this Act and rules made thereunder, within the period not exceeding fifteen days from the date of application.

(5) Employment may also be provided on a time-rate basis for certain categories of works/services as may be notified by the concerned Nodal Department with the approval of

the State Government.

- (6) As far as possible, the Program Officer shall ensure that the work site is:-
- (a) within a radius of five kilometres of the village where the job card is registered, in case the applicant resides in any rural area; and
 - (b) within the ward or adjoining wards or minimum radius of five kilometres from the ward as prescribed where the job card is registered, in case the applicant resides in any urban area.

6. Entitlement to receive unemployment allowance.- (1) Where Program Officer fails to provide employment within fifteen days from the receipt of the application in the prescribed manner, the applicant shall be entitled to receive unemployment allowance on a weekly basis and in any case not later than a fortnight from the State Government in the manner as may be prescribed.

(2) The unemployment allowance payable under sub-section (1) shall be at such rates as may be prescribed.

(3) The liability of the State Government to pay unemployment allowance to a household during any financial year shall cease as soon as:-

- (a) the household of the applicant has earned as much from the wages and unemployment allowance taken together which is equal to the wages for the period of workdays entitled under the Act during the financial year; or
- (b) the applicant is directed by the Program Officer to report for work either by himself or depute at least one adult member of his household; or
- (c) the period for which employment is sought, comes to an end and no member of the household of the applicant had turned up for employment; or
- (d) the adult members of the household of the applicant have received in total the maximum days entitled under the Act during the financial year.

CHAPTER-IV

Right to Guaranteed Social Security Pension

7. Entitlement for Guaranteed Social Security Pension.- (1) Every person falling in the category of old age/specially abled/widow/single woman with prescribed eligibility shall be entitled to a pension under this Act as may be prescribed.

(2) The pension payable shall be increased at the rate of fifteen per cent per annum on the base rate in two instalments i.e., 5 percent in July and 10 percent in January of each financial year starting from financial year 2024-2025:

Provided that no increase in pension shall be allowed before completion of minimum 12 months from the date of sanction of pension to that individual.

8. Implementation of Right to Guaranteed Social Security Pension.- (1) The State Government shall designate an Officer not below the rank of Block Development Officer in Rural Areas and an Executive Officer of the local body concerned in Urban Areas to implement the provisions of this Act for the purpose of guaranteed social security pension.

(2) The State Government shall notify rules for implementation of provisions of

guaranteed social security pension under this Act such as:-

- (i) the details of eligibility criteria for pensioners;
- (ii) process for deemed approval and auto-approval;
- (iii) process for registration, verification, and sanction;
- (iv) process for payment of pension;
- (v) process for annual review of the list of pensioners for verification of the pensioners being alive;
- (vi) process for converging other pension-related schemes operated by the State Government and mechanism for de-duplication.

CHAPTER-V

Implementation

9. Implementation by Nodal Departments.- (1) For the purpose of this Act, the Local Self Government Department shall be the Nodal department to implement the provisions of Urban Employment, and the Rural Development Department shall be the Nodal department for the implementation and day-to-day management of the provisions of Rural Employment and the Social Justice and Empowerment Department shall be the Nodal department for provisions of right to guaranteed social security pension as may be prescribed.

(2) There shall be State Rural Employment Commissioner, State Urban Employment Commissioner and State Pension Commissioner who shall be responsible for implementing the provisions of this Act and rules made thereunder and to perform such other functions as may be prescribed.

10. State Advisory Board.- (1) The State Government shall constitute an advisory board, headed by the Chief Secretary to regularly monitor and review the implementation of the provisions of this Act and rules made thereunder.

(2) The State Advisory Board shall also consist of various other members of State Government but not limited to the following, namely:-

- (i) Secretary to the Government in-charge of the Department of Rural Development and Panchayati Raj;
- (ii) Secretary to the Government in-charge of the Department of Social Justice and Empowerment;
- (iii) Secretary to the Government in-charge of the Department of Local Self Government;
- (iv) Secretary to the Government in-charge of the Department of Planning; and
- (v) Secretary to the Government in-charge of the Department of Finance.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression “Secretary to the Government in-charge” means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

CHAPTER-VI

Transparency and Accountability

11. Transparency and accountability.- (1) The State Government may prescribe the manner of maintaining proper books and accounts of employment of labourers, expenditure incurred in connection with the implementation of the provisions of this Act and rules made thereunder and provisions for regular inspection and supervision of works by a quality control team (for assets created under MGMTIY) and verification of provisions relating to entitlements of guaranteed social security pension.

(2) All payments of wages, compensation and unemployment allowances and pension shall be made directly to the account of the applicant concerned through the Direct Benefit Transfer mechanism.

(3) Relevant accounts and records relating to the payment of wages, compensation, unemployment allowance and pension under this Act shall be made available for public scrutiny in such manner as may be prescribed.

12. Grievances redressal mechanism.- The State Government shall, at an appropriate level, formulate various rules under the provisions of this Act which shall enable the applicants to lodge their grievances for redressal. The structure and the modus operandi of the grievance redressal mechanism shall be such as may be prescribed.

13. Social audit and Performance audit.- The Program Officer shall be responsible to provide the accounts and books to the Rajasthan Social and Performance Audit Authority (RSPAA) to carry out social audit and performance audit in the manner as may be prescribed.

CHAPTER-VII

Miscellaneous

14. Act in addition and not in derogation of other laws.- The Act shall apply in addition to, and not in derogation of, any rights or entitlements guaranteed under any Central or State laws.

15. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any authority or officer or body or person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

16. Power of the State Government to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for-

- (a) the details of working hours, working conditions, payment of wages and frequency of wage pay-outs;
- (b) the manner and format in which an adult member of a household may register for the right to employment;
- (c) the manner in which the applicant shall be entitled to receive unemployment allowance and the rate at which the unemployment allowance shall be payable;
- (d) the provisions of right to pension and other functions to be performed by

State Rural Employment Commissioner, State Urban Employment Commissioner and State Pension Commissioner;

- (e) the manner in which relevant accounts and records relating to the payment of wages, compensation, unemployment allowance and pension shall be made available for public scrutiny;
- (f) the structure and the modus operandi of the grievance redressal mechanism;
- (g) the manner in which social audit and performance audit is to be carried out;
- (h) the details of eligibility criteria for pensioners;
- (i) process for deemed approval and auto-approval;
- (j) process for registration, verification, and sanction;
- (k) process for payment of pension;
- (l) process for annual review of the list of pensioners for verification of the pensioners being alive;
- (m) process for converging other pension-related schemes operated by the State Government and mechanism for de-duplication.

(3) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modifications in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(4) Every rule made under this Act shall be published by the State Government in the Official Gazette.

17. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with this Act, as it deems necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every notification issued under this section shall, as soon as may be after it is issued, be laid before the House of State Legislature.

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।